

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.)

// संक्षिप्त निविदा सूचना //

क्रमांक/381 /निर्वा.नामा./2017

जशपुर, दिनांक 04 सितम्बर, 2017

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2017-18 हेतु जिले में स्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12-जशपुर (ST), 13-कुनकुरी-(ST) एवं 14-पत्थलगांव (ST) के 814 मतदान केन्द्रों के फोटोयुक्त मतदाता सूची, वर्किंग कॉपी का मुद्रण पी.डी.एफ. आदि कार्य हेतु नीचे दिये शर्तों के तहत निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 25 सितम्बर 2017 को सायं 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। फर्म से प्राप्त निविदा को समिति तथा निविदाकारों के उपस्थिति में उसी दिन सायं 4.00 बजे खोला जावेगा :-

निविदा की शर्त :-

01. निविदा के तहत निविदाकार को अपने निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 15,000 (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट जो "कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर जिला-जशपुर (छ.ग.)" के नाम से देय होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। असफल निविदादाता की अमानत राशि तत्काल वापसी योग्य होगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि की वापसी/समायोजन कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जावेगा।
02. चयनित फर्म को पी.डी.एफ. डाउनलोड कर मतदाता सूची का मुद्रण का कार्य नियत समयावधि में करना होगा।
03. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म की वैधानिकता क्षमता एवं तकनीकी अनुभव कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर तथा कार्य क्षमता आदि के बारे में विवरण पृथक से संलग्न करना होगा।
04. चयनित फर्म द्वारा मतदाता सूची का मुद्रण कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप साईज, (दोनों ओर/एक ओर) में करना होगा।
05. मतदाता सूची का मुद्रण कार्य निर्धारित समय पर नहीं करने पर रूपये 1000=00 (रूपये एक हजार मात्र) प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड से दंडित किया जा सकता है।
06. मतदाता सूची के पी.डी.एफ. की छपाई में त्रुटि होने पर देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा।
07. निविदाकार को आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
08. निविदाकार को पेन नंबर, टेन नंबर, जी.एस.टी. नंबर की प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
09. निविदाकार द्वारा अपना निविदा प्रारूप जिले के बेवसाईट www.jashpur.nic.in या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
10. उपरोक्त निविदा के संबंध में किसी भी वाद-विवाद पर अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर को होगा।


कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-जशपुर (छ.ग.)

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

विषय :- जशपुर जिले के सभी विधान सभाओं के मतदाता सूची का मुद्रण संबंध निविदा पत्रक।

01. निविदाकर्ता का विवरण
(A) निविदाकर्ता का नाम :-
(B) निविदाकर्ता का पता/फोन नं.:-
.....
(C) TAN NO.
(D) PAN NO.
(E) GST NO.

02. मतदाता सूची मुद्रण/पी.डी.एफ. निर्माण की प्रस्तावित दर

क्रमांक	कार्य का विवरण	दर
01	पी.डी.एफ. निर्माण की दर प्रति मतदाता केन्द्र के हिसाब से	
02	फोटोयुक्त मतदाता सूची का एक पृष्ठ का मुद्रण कागज सहित	अंको में- शब्दों में-
03	फोटोयुक्त मतदाता सूची का दो पृष्ठ (एक पन्ना) का मुद्रण	अंको में- शब्दों में-
04	BLO वर्किंग कॉपी प्रति पृष्ठ	अंको में- शब्दों में-
05	BLO वर्किंग कॉपी प्रति पृष्ठ दो पृष्ठ (एक पन्ना)	अंको में- शब्दों में-

- 03 जमा अमानत राशि का विवरण :-
(A) बैंक का नाम :-
(B) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक /दिनांक :-
(C) राशि

// घोषणा पत्र //

मैं/हम मतदाता सूची के प्रिंटिंग/पी.डी.एफ. निर्माण करने के लिए निविदा के शर्तों अनुसार कार्य करने लिए सहमत हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम:-
फर्म का नाम/पूर्ण पता :-.....
मोबाईल नंबर :-